राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.17(ई)पराविं/प्र.2/ग्रा.से./2014/ 3184 जयपुर, दिनांक: 29/07/2015

–:: आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 24 जून, 2014 के द्वारा ग्राम सेवकों की भारी संख्या में रिक्तियों को देखते हुए प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम सेवकों के रिक्त पदों का कार्यभार ग्राम पंचायत पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को भी दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाऐं कि किसी भी कनिष्ठ लिपिक को अधिकतम एक ग्राम पंचायत का कार्यभार ही एक समय में दिया जावे। कनिष्ठ लिपिक को एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाकर केवल ग्राम सेवकों को ही दिया जाना सुनिश्चित करें। किसी कनिष्ठ लिपिक को उसकी गृह पंचायत में ग्राम सेवक का कार्यभार नहीं दिया जाना भी सुनिश्चित करें।

आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् – समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – समस्त।
7. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. आदेश पत्रावली।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त